

विषय:-न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी० क्रमांक 8727/2015, श्री रामप्रसाद कोरी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला-राजगढ़, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

R-1/15

श्री रामप्रसाद कोरी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला-राजगढ़, ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर, में पेंशन के संबंध में याचिका क्रमांक 8727/2015, दायर की है। विषयांकित न्यायालयीन प्रकरण, में प्रमुख सचिव एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रकरण राजगढ़, जिले से संबंधित है।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 11.04.2016 को नियत है/थी। जिसमें शासन पक्ष की ओर से अतः प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से प्रतिरक्षण किये जाने एवं वादोत्तर समय-सीमा में प्रस्तुत किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। अग्रोदार्थ उद्धृत।

प्रभारी अधीक्षक(लीगल)

उप संचालक (लीगल) - N.A.

अग्रोदार्थ एवं मन्त्रालय की दशा में अधीक्षक की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। एवं गृही विधि विभाग को भी अधीक्षक को दृष्टिगत करना चाहिए।

AD (Legal) N.A.
Director (Legal)

किंदर विष्णु

आवक सं० 444-45, दि० 14/03/16

11/2/16
संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

विषय:-न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी० क्रमांक 8727/2015, श्री रामप्रसाद कोरी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला-राजगढ़, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

BY REGD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 4179/2016

WP/8727/2015

From

Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Indore

Against Admission
Fixed for 11-04-2016
WP-DA-11
Respondent No. 2

To,

Director,
Directorate Of Health Service,
Vallabh Bhavan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),


Indore 23-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8727/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ramprasad Kori** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8727/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **11-04-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Encl.

Your's faithfully

[Signature]
12.02.16
DEPUTY REGISTRAR

AFFIX

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE.

W.P. No. 8727 /2015(S)

Petitioner.....

Ramprasad Kori

Versus

Respondents.....

State of M.P. & Others

INDEX

S.No.	Particulars of Documents	Annexure	Page No.
1.	Writ Petition.		1-4
2.	Affidavits in support of W.P.		5-5
3.	Copy of Promotion order dated 22.7.2006	P/1	6-6A
4.	Copy of Revision Pay Scale	P/2	7-7
5.	Copy of Contempt Proceeding	P/3	8-17
6.	Vakalatnama		18

Indore,

Dated : 17/12/2015

Submitted by,



Counsel for Petitioner

MANOJ MANAV

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE.

W.P. No. /2015(s)

Petitioner.....

Ramprasad Kori

Versus

Respondents.....

State of M.P. & Others

DATE AND EVENTS

S.No.	Date	Events
1.	2006	Promoted on the post of District Malaria Officer
2.	31.7.2006	Retired from service after attaining the age of superannuation.
3.	2006	Retiral dues not fixed properly
3.	3.8.2011	Direction issued for refixation of retiral dues
4.	11.8.2015	The claim of petitioner has been denied in Contempt Proceeding.

Indore,

Dated : 17/12/2015

Submitted by,



(Counsel for Petitioner)

MANOJ MANAV

①

②

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE.

Petitioner..... W.P. No...../2015(s)
Ramprasad Kori S/o. Shri Dalpatsingh Kori,
Age - 69 years, Occupation- Pensioner,
R/o. Near Shastri School, Bhujpuriya
Pachore, Ward No. 3, District- Raigarh
(Biaora)M.P.

Versus

Respondents.....
1.State of M.P.,
Through Principal Secretary,
Public Health and Family Welfare
Department,
Vallabh Bhavan, Bhopal (M.P.).
2. Director,
Directorate of Health Service,
Vallabh Bhavan, Bhopal (M.P.).
3. Chief Medical & Health Officer,
Raigarh, District- Raigarh (Biaora)M.P.
4. Treasury Officer,
Raigarh, District- Raigarh (Biaora)M.P.

Writ Petition Under Article 226 of The Constitution of India

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIP:

The Petitioner named above humbly submits as under :-

1. PARTICULARS OF THE ORDER IMPUGNED :

1. Order dtd. : As below
2. Passed by : As below.

Subject Matter : By way of this writ petition, petitioner is challenging the action and inaction of the respondents whereby, the benefits of 6th Pay Commission has not been given to the petitioner, petitioner was promoted on the post of District Malaria Officer on 25.7.2006 and retired from the service on 31.7.2006, but the Pension of petitioner has not been fixed on the basis of last drawn salary.

2. DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED:

There is no alternative remedy available to the petitioner against the said impugned order accept to this Writ Petition.

3. MATTER NOT PENDING BEFORE, ANY COURT :

There is no matter pending in any of the Court.

4. DELAY IF ANY:

That, there is no undue delay in filing his Writ petition, otherwise also dispute is in respect to salary/pension and it is a recurring cause of action.

5. FACTS OF THE CASE :

- 5.1. That, petitioner is a retired District Malaria Officer, retired from Raigarh, District Raigarh (Biaora) (M.P.) well within the writ jurisdiction of this Hon'ble High Court.
- 5.2. That, by order dated 22.7.2006, petitioner was promoted from the post of Assistant Malaria Officer to Malaria Officer, the name of petitioner is at Sr. No. 7. Copy of promotion order dated 22.7.2006 is annexed here as **Annexure P/1.**
- 5.3. That, petitioner has completed 60 years of his age in the month of July 2006 and accordingly retired from the service w.e.f. 31.7.2006.
- 5.4. That, petitioner has discharge his duty without any complaint and completed his tenure with the uttermost satisfaction of his superior authority.
- 5.5. That, petitioner was promoted in the pay scale of Rs. 8,000-275-13500/-and on the last date of his tenure, the pay was paid to the petitioner on the basis of the pay scale of Rs. 8000-275-13500/-, the pay scale of Rs. 8000-13500/- has been revised as 15600-39100/- and accordingly his

salary was revised under the provision of Madhya Pradesh Pay Revision Rules 2009. Copy of Revision of Pay scale is annexed here as Annexure P/2.

5.6 That, earlier petitioner has filed this petition against the non grant of proper pension and this Hon'ble Court was pleased to disposed of the matter with a direction to the respondents to consider the case of petitioner for re-fixation of his pension and finally in Contempt Proceeding, respondent authority denied the claim of the petitioner for re-fixation of his pension. Copy of the reply submitted by the respondents in Contempt Proceeding is annexed here as Annexure P/3.

5.7 Hence, this writ petition on the following amongst other grounds inter-alia.

6. GROUND URGED :

6.1 That, the petitioner is entitled to receive the pension on the basis of his last drawn salary and accordingly he is entitled for the pension on the basis of the pay scale of Rs. 15,600-39100/-, but same has yet not been paid.

6.2 That in Contempt Proceeding, respondents have submitted their reply on the basis of the circular dated 21.6.2009, but mere perusal of the reply would shows that, the calculation has not been done on the basis of circular and there is mistake in the calculation.

6.3 That, the petitioner who is retired servant, retired on the post of Malaria Officer and he is entitled to receive the pension and other retiral dues on the basis of the pay scale in which he has been retired.

6.4 That, petitioner has receive the salary in the revised pay scale of Rs. 15600-39100/- and he is entitled for fixation of his retiral dues on the basis of the said pay scale.

6.5 That, respondents have wrongly denied the claim of the petitioner and without any basis and only to terminate the Contempt Proceeding, the reply was filed.

6.6 That, all other grounds shall be raised at the time of hearing.

7. RELIEF SOUGHT :

1. That, this Hon'ble Court may pleased to issue appropriate writ/order/direction to respondents to re-fixed the pension and other retiral dues of the petitioner on the basis of pay scale of Rs. 15600-39100/-.

2. That, this Hon'ble Court may further pleased to direct the respondents to grant the arrear along with the interest.

3. That, this Writ Petition may kindly be allowed with cost.

4. That, this Hon'ble Court may further pleased to grant any other relief, if deem fits in present facts and circumstances.

8. INTERIM RELIEF :

Nil.

9. DOCUMENTS RELIEF, BUT NOT FILED :

No.

10. CAVEAT:

That, no notice of Caveat has been served upon the petitioner.

Indore,

Dated : 17/12/2015

Submitted by,

(Signature)

(Counsel for Petitioner)
MANOJ MANAV



Serial No. 17123
Date 17/12/15

5

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE.**

W.P. No. /2015

Petitioner.....

Ramprasad Kori

Versus

Respondents.....

State of M. P. & Others

AFFIDAVIT
(In support of Writ Petition.)

1/ Name : Ramprasad Kori
Husband/Father's Name : Shri DALPAT SINGH Kori
Age : 71 Years
Occupation : Service
Address : Near Govt. School, Rajpuriya Pector.
Dist. Rajgadh Block

2/ That, I am the petitioner in this petition and fully conversant with the facts of the case and competent to swear with this affidavit. I am filing the writ petition against the impugned order of recovery and consequential action, the contents set out in the various paras of writ petition are true as per the best of my personal knowledge and belief, nothing untrue has been stated therein and nothing has been concealed. The contents of writ petition and affidavit have been explained to me in simple Hindi.

Indore,

Dated : 17/12/2015

DEPONENT

VERIFICATION

I the deponent solemnly verify that, the contents set out in the para No. 1 and 2 of the affidavit are true as per the best of my personal knowledge and belief nothing untrue stated therein and nothing has been concealed.

Indore,

Dated : 17/12/2015

DEPONENT

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE.**

W.P. No. /2015(S)

Petitioner.....

Ramprasad Kori

Versus

Respondents.....

State of M.P. & Others

LIST OF DOCUMENTS

S.No.	Particulars of Documents	C.C./Copy	Page No.
1.	Promotion order dated 22.7.2006	Copy	6-6
2.	Revision Pay Scale	Copy	7-7
3.	Contempt Proceeding	Copy	8-17

Indore,

Dated : 17/12/2015

Submitted by,

Counsel for Petitioner
MANOJ MANAV

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

Annexure P/I

6

- आदेश -

मोपाल, दिनांक - 22/07/2006

क्रमांक-एफ-1-21/2006/सत्रह/मोडि-1 : राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित सहायक गल्लेरिया अधिकारों में जिला मलरिया अधिकारों के पद पर रूपय 8000-275-13500 में पदोन्नत करते हुये अस्थाई रूप में आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना का स्थान
01	02	03	04
1.	श्री आर.एल.डेहरिया	जिला- छिंदवाड़ा	जिला- छिंदवाड़ा
2.	श्री आर.सी.बरीया	जिला- रायसेन	जिला- उमरिया
3.	श्री एस.एल.डेहरिया	जिला- सिवनी	जिला- शिवपुरी
4.	श्री एम.सी.डेहरिया	जिला- नरसिंहपुर	जिला- नरसिंहपुर
5.	श्री जयसिंह	जिला- विदिशा	जिला- विदिशा
6.	श्री के.पी.मिश्रा	जिला- सागर	जिला- दमोह
7.	श्री आर.सी.कौरी	जिला- राजगढ़	जिला- राजगढ़
8.	श्री बाबूलाल ठाकुर	जिला- बैतुल	जिला- खण्डवा
9.	श्री बलदेव अहिरवार	जिला- धार	जिला- झाड़ूआ
10.	श्री एस.आर.दाहिया	जिला- जबलपुर	जिला- पन्ना
11.	श्री एन.एल.मेहरा	जिला- भोपाल	जिला- होशंगाबाद
12.	श्री गोपीलाल सहारिया	जिला- गुना	जिला- गुना
13.	श्री सी.बी.मिश्रा	जिला- रीवा	जिला- रीवा
14.	श्री नाथूसिंह वर्मा	जिला- शाजापुर	जिला- नीमच

2/- पदोन्नत अधिकारी में से किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित है या वह निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल इस विभाग को भेजने के लिये कार्यमुक्त करने वाले सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

3/- पदोन्नत पद एवं स्थान पर आदेश प्रप्ति के उपरान्त 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत अधिकारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

TRUE COPY
ADVOCATE

निराकर 2/-

6A

2

4/- प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिये ग.प्र.लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियम/निर्देशों का पालन किया गया है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

G. Sahu
22/7/06
(धनश्याम सहारे)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पू.क्रमांक-एफ-1-21/2006/सत्रह/मोडि-1 मोपाल, दिनांक-22/07/2006

प्रतिलिपि:- निज सचिव, मान0 स्वास्थ्य मंत्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न.प्र. की ओर मान0 मंत्रीजी को अवगत कराने हेतु अग्रेषित।

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
2. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. अनुसूचित, जनसम्पर्क मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भ.प्र.भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाड़ा/रायसेन/उमरिया/सिवनी/शिवपुरी/नरसिंहपुर/विदिशा/सागर/दमोह/राजगढ़/बैतुल/खण्डवा/धार/झाड़ूआ/जबलपुर/पन्ना/भोपाल/होशंगाबाद/गुना/रीवा/नीमच/शाजापुर।
8. उप संचालक, मलेरिया, जिला-
9. समस्त संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
10. संबंधित अधिकारी
11. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

G. Sahu
22/7/06
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

ANNEXURE-F
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ म.प्र.

प्रपत्र 1

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत वेतन निवतन पत्रक

1. नाम : श्री राम प्रसाद कोरी
2. पदनाम : जिला मलेरिया अधिकारी
3. वेतन स्थाई / स्थानापन्न : स्थानापन्न
4. नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निवतन का दिनांक : 25-07-2006 ✓
5. मौजूदा वेतनमान : 8000-275-13500
6. लागू वेतन बैंड : (PB-3) : 15600-39100
7. विकल्प दिनांक 25.07.2006 को मौजूदा मूल वेतन : 8000 ✓
8. परिलब्धियां :
 - ✓ (क) यदि विकल्प दिनांक 31.03.2007 तक की स्थिति के लिये है तब विकल्प दिनांक को मौजूदा मूल वेतन पर स्वीकृत मंजूर है।
 - × (ख) यदि विकल्प दिनांक 31.03.2007 के पश्चात की स्थिति के लिये है तब मौजूदा मूल वेतन, मूल वेतन पर 50 प्रतिशत मंजूर है वेतन तथा मूल वेतन एवं मंजूर है वेतन पर 20 प्रतिशत मंजूर है।
9. मौजूदा परिलब्धियां, सरल क्रमांक 7 (+) सरल क्रमांक 8 (क) अथवा 8 (ख) अनुसार (जैसी भी स्थिति हो) : 12720
10. मौजूदा मूल वेतन (सरल क्रमांक 7) का 1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद प्रकल्पित परिलब्धियां : 14880
11. वेतन बैंड में वेतन (स.क्र.9 या 10 में से जो अधिक हो) : 15600
12. बचिग यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन : 15600
13. वेतनमान से संबंधित ग्रेड वेतन : 5400 ✓
14. संशोधित वेतन (वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन को जोड़कर) : 21000 (Rs. Twenty One Thousand,)

(59 प्रतिशत डी.ए.)

Chief Medical & Health Officer
Distt. RAJGARH M.P.

दिनांक	वेतन बैंड / वेतनमान में वेतन	ग्रेड वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	निकाल
25-07-2006	15600	5400	21000	

स्थान : राजगढ़
दिनांक :

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के शा.प क्रमांक एच. 8/2009/नियम/चार, दिनांक 25 मई 2009 द्वारा पञ्चासशेषित।
Prepared with - www.yashbabu.in, Mob.- 9300000090

TRUE COPY
ADVOCATE

Chief Medical & Health Officer
Distt. RAJGARH M.P.

Annexure P/3 P/4

अवमानना याचिका क्रमांक (सी) 421/2014
रिट याचिका क्रमांक 6122/2011 (एस) से उद्भूत

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर के समक्ष

..... प्रार्थी

रामप्रसाद कोरी

वि रु द्ध

..... प्रत्यर्थीगण

श्री प्रवीर कृष्ण एवं अन्य

// वि व र णि का //

क्रम	पेज का विवरण	पेज संख्या
01	प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से उत्तर	01-03
02	उत्तरदाता का शपथपत्र	04
03	अनुलग्नक आर-1 परिपत्र दिनांक 21.6.2011 की प्रतिलिपि	05-08
04	अनुलग्नक आर-2 पत्र दिनांक 7.5.2014 की प्रति	09

45
इन्दौर,
दि 0 / 2015

10
प्रस्तुतकर्ता,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजगढ़ एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3
एवं सम्पर्ककर्ता अधिकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजगढ़ एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3
एवं सम्पर्ककर्ता अधिकारी

आयोग को उत्तर भी प्रेषित किया गया है। इस उत्तर की प्रति अनुलग्नक आर-2 पर अंकित होकर साथ प्रस्तुत है।

एफ- यह कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही के अनुसरण में प्रत्यर्थागण का निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण में जो आदेश पारित किए गए थे, उनका पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है। उत्तरदाता सदैव ही इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित समस्त आदेशों का समय पर पालन करते आए हैं एवं भविष्य में भी इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का समयावधि में पालन करने हेतु कटिबद्ध हैं। आदेश के पालन में जो विलंब हुआ है, वह प्रक्रियागत विलंब होकर सद्भावनापूर्ण होने से क्षम्य है।

3- अतः विनम्र निवेदन है कि उत्तरदाता माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन नियत समयावधि में न होने से निरपेक्ष क्षमा याचना प्रस्तुत करते हैं। अतः उपरोक्त स्थिति में प्रतिप्रार्थीगण को अवमानना से मुक्त किए जाने बाबद आदेश प्रदान करने की कृपा होवे।

4- यह कि उपरोक्त समग्र परिस्थितियों के उपरान्त भी माननीय न्यायालय यदि कोई अन्य आदेश पारित करते हैं तो उसका पालन करने हेतु भी उत्तरदाता/प्रत्यर्थागण तत्पर हैं।

5- अतः विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के संबंध में पारित आदेश का परिपालन हो जाने से एवं उत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत निरपेक्ष क्षमा याचना को स्वीकार कर प्रतिप्रार्थीगण को अवमानना से मुक्त किए जाने बाबद आदेश प्रदान करने की कृपा होवे।

6- यह कि चूंकि श्री ए0वी0 दीक्षित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़ स्थानांतरित हो चुके हैं, इस कारण से उनके स्थान पर नियुक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा इस उत्तर के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

// प्रार्थना //

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि इस पालन प्रतिवेदन को अभिलेख पर लिया जाकर अवमानना प्रकरण निरस्त किए जाने की कृपा होवे।

इन्दौर,
दि 0

/2015

प्रस्तुतकर्ता,
(डा. जी.डी. मधनानी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजगढ़ एवं प्रत्यर्था कमांक 3
एवं सम्पर्ककर्ता अधिकारी



5524/15-
11/08/2015

12

अवमानना याचिका कमांक (सी) 421/2014
रिट याचिका कमांक 6122/2011 (एस) से उद्भूत
माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर के समक्ष

..... प्रार्थी

रामप्रसाद कोरी.

वि रु द्ध

..... प्रत्यर्थागण

श्री प्रवीर कृष्ण एवं अन्य

// श प थ प त्र //

मैं शपथगृहीता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि-

मेरा नाम : डा0 जी0डी0 मधनानी
पिता का नाम : स्व. श्री त्रिलोकचन्द मधनानी
उम्र : 63 साल
व्यवसाय : शासकीय सेवा
निवासी : राजगढ़

2- यह कि उपरोक्त प्रकरण में मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसके चरण कमांक 1 से अन्त तक में किया गया संपूर्ण कथन उपलब्ध अभिलेख एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्य व सही है, इसमें न तो कोई कथन असत्य है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

इंदौर,
दि 0 11/08/2015
सत्यापन लेख-

SWORN BEFORE ME
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजगढ़ एवं प्रत्यर्था कमांक 3

मैं शपथगृहीता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त प्रकरण में मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के चरण कमांक 1 एवं 2 में किया गया संपूर्ण कथन उपलब्ध अभिलेख एवं मुझे प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्य व सही है, इसमें न तो कोई कथन असत्य है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

इंदौर,
दि 0 11/08/2015

SWORN BEFORE ME
(डा. जी.डी. मधनानी)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजगढ़ एवं प्रत्यर्था कमांक 3
एवं सम्पर्ककर्ता अधिकारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजगढ़ एवं प्रत्यर्था कमांक 3

Identified by

ATTESTED

Sudhir Kumar Joshi
NOTARY

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/आर

भोपाल, दिनांक 21 जून 2009

प्रति,

राज्य के सम्पत्ति विभाग,
अध्यक्ष, राज्य मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागों के आयुक्त,
समस्त विभागों के अध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय - दिनांक 1-1-2006 को या परचातु सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण।

संदर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/आर(भाग-2), दिनांक 3 अगस्त 2009.

विवर्णित संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो, जिसमें दिनांक 1-1-2006 को या परचातु सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन अथवा परिवार पेंशन पुनरीक्षण किये जाने के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं। विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों जिन्हें सेवानिवृत्ति के माह में क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत होने के कारण दो पृथक-पृथक वेतन देय होता है तो ऐसे कर्मचारियों के पेंशन एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान की गणना किस उपलब्धि के आधार पर की जायेगी, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उपरोक्त बिन्दु पर विचारोपगत यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे शासकीय सेवकों को उस माह में क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत होने के पूर्व प्राप्त वेड वेतन+ग्रेड पे एवं क्रमोन्नति/पदोन्नति/पदावनत के बाद देय वेड वेतन+ग्रेड पे के योग के अनुपातिक आधार पर पूर्ण माह हेतु देय परिलब्धियों की गणना की जाकर पेंशन/मृत्युसह-सेवानिवृत्ति उपादान की गणना की जायेगी। इस संबंध में उपर्युक्त उदाहरण-1 एवं -2 भी मार्गदर्शन हेतु संलग्न है।

संलग्न- उदाहरण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अधिनियम

(एस.एन.मिश्र)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल

13

उदाहरण-

(1) 'क' कर्मचारी दिनांक 1-1-2010 से 22-6-2010 तक वेतन बैंड ₹9300+34800+3200 ग्रेड पे में वेतन ₹10200+31100 ग्रेड पे कुल ₹13400/- प्राप्त कर रहा था। उक्त कर्मचारी को दिनांक 23-6-2010 से पदोन्नति वेतन बैंड ₹9300+34800+3600 ग्रेड पे में हुई एवं उसके द्वारा पदोन्नति पद पर दिनांक 23-6-2010 को ही कार्यभार ग्रहण किया गया। पदोन्नति पद पर उक्त कर्मचारी को वेतन बैंड में दिनांक 23-6-2010 को वेतन ₹10500+3600 ग्रेड पे कुल ₹14100/- निर्धारित होगा।

कर्मचारी दिनांक 30-6-2010 को सेवा निवृत्त हो रहा है। उक्त कर्मचारी के पेंशन / मृत्यु सह सेवा निवृत्ति के लिए अंतिम परिलब्धियां निम्नानुसार होंगी :-

1-6-2010 से 22-6-2010 तक $13400 \times \frac{22}{30} = 9826.66$

23-6-2010 से 30-6-2010 (से.वि.) $14100 \times \frac{8}{30} = 3760.00$

योग ₹13586.66 पूर्णांकित ₹13587

अंतिम परिलब्धियां ₹13587

टीप:- क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान/चरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी के मामलों में भी उपरोक्तानुसार ही अंतिम परिलब्धियों की गणना की जायेगी।

(डॉ. के. एस. सी. ना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल

उपकरण- (2) 'ख' कर्मचारी दिनांक 1-1-2010 से 22-6-2010 तक

बेण्ड ₹9300+34800+3200 ग्रेड पे में वेतन ₹102000/-
ग्रेड पे कुल ₹13400/- प्राप्त कर रहा था। उक्त कर्मचारी
23-6-2010 से वेतन बेण्ड ₹5200+20200+2800
पदावनत किया गया। उक्त कर्मचारी पदावनत पद के वेतन
दिनांक 23-6-2010 को वेतन ₹10200+2800
₹13000/- निर्धारित किया गया।

कर्मचारी दिनांक 30-6-2010 को सेवा निवृत्त हो रहा है।
कर्मचारी के पेंशन / प्रत्यु यह सेवा निवृत्ति के लिए अंतिम वेतन
निम्नानुसार होगा :-

1-6-2010 से 22-6-2010 तक	$13400 \times \frac{22}{30}$	=	9826.66
23-6-2010 से 30-6-2010 (से.नि.)	$13000 \times \frac{8}{30}$	=	3466.66
योग			₹13293.32 पूर्णांकित ₹13293

(डी.के. सुक्सेना)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मुख्य निदेशक
मुख्य निदेशक एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मुख्य निदेशक (स्वास्थ्य)

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा क्रमांक : एक 9-2/2009/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्य प्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/गुवागरी
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश भोपाल/इंदौर/गुवागरी
12. महालेखाकार (लेखा और हकपारी)/(ऑडिट)-1/2 मध्य प्रदेश गुवागरी/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्य प्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्य प्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्षा-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी रांगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रिम।

(डी.के. सुक्सेना)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ म0प्र0
क्रमांक/मा.अ.आ./2014/ 4646 राजगढ़, दिनांक 7/5/14

श्रीमान रजिस्ट्रार (लॉ)
मानव अधिकार आयोग
पर्यावरण भवन, प्रथम तल
खण्ड-1 अरेरा हिल्स भोपाल।

(17)

विषय:- श्री आर0पी0 कोरी सेवानिवृत्त जिला मलेरिया अधिकारी की शिकायत में प्रतिवेदन भेजने बाबत।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 36792/मा.अ.आ./6532/13/राज0, दिनांक 13.02.2014।
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा श्री आर0पी0 कोरी, सेवानिवृत्त जिला मलेरिया अधिकारी की शिकायत का जांच प्रतिवेदन चलाया गया है।
तदनुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है -

01. दिनांक 25.7.2006 को सहायक मलेरिया अधिकारी से यदोन्नति पर जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-13500 पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई।
02. दिनांक 31.7.2007 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने से सहायक सेवा से सेवानिवृत्त किया गया।
03. सेवानिवृत्ति पर जिला मलेरिया अधिकारी के वेतनमान रु0 8000-13500 में न्यूनतम रु0 8000=00 पर वेतन निर्धारण कर पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु सहायक अधिकारी को भेजा गया जहां उनके द्वारा 10 माह के औसतनुसार रु0 2156=00 मूल पेंशन स्वीकृत की जाकर भुगतान की गई थी।
04. तदुपरांत छठे वेतनमान में रु0 8000-13500 के तत्संबंधी वेतनमान 15600+5400 के अनुसार रु0 21000=00 पर वेतन निर्धारण कर पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिला कोषालय राजगढ़ को भेजा गया जहां कोषालय अधिकारी राजगढ़ द्वारा पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण म0प्र0 शासन वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ/9/2/2009/नियम/चार, दिनांक 21.06.2011 के अनुसार पेंशन प्रकरण तैयार कर भेजने हेतु लेख किये जाने के फलस्वरूप उक्तानुसार ज्ञापनानुसार वेतन निर्धारण रु0 21000=00 के स्थान पर रु0 16980=00 पर किया जाकर पेंशन प्रकरण तैयार कर कोषालय को भेजा गया, जहां उनके द्वारा रु0 7859=00 मूल पेंशन स्वीकृत कर भुगतान की गई है।
05. पूर्व में रु0 21000=00 पर ऐरियर राशि का भुगतान रु0 56216=00 किया गया था, परन्तु वित्त विभाग के ज्ञापन दि0 21.6.2009 के अनुसार वेतन निर्धारण रु0 16980=00 किये जाने के फलस्वरूप ऐरियर राशि रु0 30663=00 होती है आधिक्य भुगतान रु0 25553=00 हो जाने से उपादान से वसूली की गई है।
अतः छठे वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 21.6.2009 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाकर पेंशन स्वीकृत की गई है, जिसकी वजह से उपादान एवं पेंशन में राशि में भिन्नता आई है। सुलभ संदर्भ हेतु वित्त विभाग का ज्ञापन दि0 21.6.2011 संलग्न अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

पू. क्रमांक/मा.अ.आ./2014/ 4647

प्रतिलिपि:-

01. श्री लीलाधर साहू, केशिथर, स्थानीय कार्यालय की ओर उक्तानुसार डाक मार्ग से मानव अधिकार आयोग में प्रस्तुत कर पावती कार्यालय को प्रस्तुत करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला राजगढ़ म.प्र.
राजगढ़, दिनांक 7/5/14

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला राजगढ़ म.प्र.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला राजगढ़ (म.प्र.)

आदेश :-


सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) अधिनियम संख्या -5 के आदेश के सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़, म0प्र0 को उच्च न्यायालय इंदौर में दायर विविध याचिका डब्ल्यू0 पी0 क्रमांक 8727/2015, पक्षकारी का नाम श्री रामप्रसाद कोरी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला-राजगढ़ म.प्र.शासन एवं अन्य में म.प्र.राज्य तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन करने उपस्थित होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य शर्तों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यूरो नीचे दिये हैं, निम्न लिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संदर्भ में महाधिवक्ता/ शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुचाने को संभालना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श लिया गया था तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाए।
2. समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश आदि एकत्र करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुचाने की सम्भावना है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता के संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनको प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों का प्रतियों जिसमें वाद सुनवाई की तारीख भी शामिल होनी चाहिए।

कमश: (2)

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत करना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है जब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए विभाग को भेजेंगे।
10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उनकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे हो उसके अपना स्थानांतरित आदेश प्राप्त होता है यह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंपे देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी, मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर समय सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य को दस्तावेज अप्रतिष्ठ/छुपी हुई ना रह जाये।
13. प्रभारी अधिकारी कार्यदि लोग अभियोजन मुकदमर है तो जैसे ही वाद का विनिश्चय होता,परिवत्र की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमर है तो यह बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के कम में पारित किए गए किसी अतिरिक्त आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतः एवं वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किए जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को प्रेषित करे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


कृते / सचिव

मध्य प्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कमश:.....(3)

पृ0क्रमांक: 4/लीगल/इंदौर/2016/पंजी- / भोपाल, दिनांक : / /2016

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. रजिस्ट्रार/अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर (म.प्र.)
2. संभागीय संयुक्त संचालक, इन्दौर संभाग इन्दौर ।
2. प्रभारी अधिकारी- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़, म0प्र0। की और शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने, उपस्थिति प्रकरण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले के प्रगति की प्रति विभाग के साथ साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजने चाहिए। आवेदन प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। उक्त न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. 8727/2015 मामले की सुनवाई दिनांक 11.04.2016 को उच्च न्यायालय इंदौर, में नियत है।


कृते / सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग